उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुभाग–2

संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016

देहरादून : दिनांक 2 | दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बाजपुर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–4832/9–आ–3–95–6आर0ए0–91, दिनांक 01–01–1996 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बाजपुर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बाजपुर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या–794/V-2–आ0–2016–60(आ0)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1855/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

461
24/12/16

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या–1856/V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, किच्छा की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–1098/9–आ–3–92–50एच/57, दिनांक 16–06–1992 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, किच्छा को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, किच्छा के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या–794/V-2–आ0–2016–60(आ0)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–1856/V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1856/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, श्रीनगर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–4674/37–3–37–एन0के0वी0/79, दिनांक 22–01–1982 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, श्रीनगर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, श्रीनगर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या– 1857 /V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, रामनगर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–3510/XXXVII–3–78NKV–81, दिनांक 17–08–1982 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रामनगर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, रामनगर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या–794/V-2–आ0–2016–60(आ0)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1858/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, कौसानी–ल्वेशाल की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–1887/37–3–67एन0के0वी0/1973, दिनांक 04–06–1973 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, कौसानी–ल्वेशाल को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, कौसानी–ल्वेशाल के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1859/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुभाग–2

संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016

देहरादून : दिनांक 2 | दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, काशीपुर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–3830(6)/9–आ0–3–91.6–आर0ए0–91, दिनांक 19–06–1992 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, काशीपुर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04(1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, काशीपुर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या–794/V-2–आ0–2016–60(आ0)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1860/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– — /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, उत्तरकाशी की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–1828/37–3–89–आर0ए0–88, दिनांक 09–05–1989 को अवकमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– — /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1861/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 2-) दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, रूद्रप्रयाग की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–1116आ0/श0वि0/2002(1)149(आ)/2002, दिनांक 05–12–2002 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रूद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

1862

संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, पौड़ी की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–360/आ0/श0वि0–2003/पौड़ी/2003, दिनांक 10–11–2003 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, पौड़ी को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या– 1863 /V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 2-| दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, औली की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–3711/9–आ–3–97–5आर0ए0–95, दिनांक 27–05–1998 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, औली को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, औली के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1864/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, चमोली।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 2 |दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, गोचर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–86(6)/9–आ0–3–94–9आर0ए0–93, दिनांक 13–05–1994 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, गोचर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, गोचर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1865/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, चमोली।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 2-) दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, गोपेश्वर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–1810/9–आ–3–93–66आर0बी0ओ0–65, दिनांक 27–05–1993 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, गोपेश्वर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, गोपेश्वर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1866/V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, चमोली।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुभाग–2

संख्या– / V–2 / 60(आ0)15 / 2016

देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बद्रीनाथ की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–वी0आई0पी0138 / 9–आ–3–97–12आर0बी0ओ0–65, दिनांक 25–11–1997 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बद्रीनाथ को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बद्रीनाथ के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– / V–2 / 60(आ0)15 / 2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1867 / V –2 / 60(आ0)15 / 2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमायूं , पौड़ी / नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, चमोली।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, पिथौरागढ़ की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–279/9–आ0–3–95–50(12)एच/60, दिनांक 05–04–1995 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, पिथौरागढ़ को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1868 /V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुभाग–2

संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016

देहरादून : दिनांक 2 | दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–2771/V–आ0–05–149(आ0)/2002, दिनांक 26–09–2005 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या– 1869/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– — /V–2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र रूद्रपुर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–3177V/आ0–2006–179(आ0)/06, दिनांक 15–11–2006 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रूद्रपुर को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04(1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या–794/V-2–आ0–2016–60(आ0)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1879/V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, चम्पावत की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–1306/V–आ0–2009–365(आ0)/05, दिनांक 01–01–2010 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, चम्पावत को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04(1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चम्पावत एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चम्पावत को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1871/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, चम्पावत।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– /V –2/60(आ0)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, हल्द्वानी–काठगोदाम की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–359/आ0/श0वि0–2003/ह0का0/2003, दिनांक 10–11–2003 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, हल्द्वानी–काठगोदाम को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, हल्द्वानी–काठगोदाम के रुप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या–794/V-2-आ0–2016–60(आ0)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– /V–2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1872/V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– 35/V –2/60(आ0)15/2017
देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, गैरसैंण की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या–63/V–1/33(आ0)2013, दिनांक 27–01–2015 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, गैरसैंण को उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, गैरसैंण के रुप में अधिसूचित किया जाता हैं। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)।
सचिव

संख्या– 35(1)/V–2/60(आ0)15/2017– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या– 35(2)/V–2/60(आ0)15/2017– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
8– अपर जिलाधिकारी, चमोली।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव